न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

राoविoवाद संo–11/2017–18
सुरेश महामरीक एवं अन्य
बनाम
भोलानाथ साह एवं अन्य

29/2/2020

–: आदेश :–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदकगण का कथन है कि मौजा मंजवारा घाट के गैरमजरूआ दाग नंo–33, रकवा–04–08–03 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गैरमजरूआ तालाब कहकर दर्ज है। उक्त तालाब से मौजा के कई रैयतों के साथ आवेदक का जमीन का गत सर्वे के पूर्व से ही पटवन होते आया है। लेकिन कुछ वर्षों से विपक्षी के द्वारा उक्त तालाब से पटवन नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्षी ने उक्त तालब को अतिक्रमण कर लिया है तथा रैयतों को पानी पटवन करने में बाधा उत्पन्न करता है। जबकि मौजा मंजवारा घाट का रैयत नहीं है और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत पोखर की जमीन का वंदोवस्ती नहीं किया जा सकता है। आवेदगण ने विपक्षी के साथ उक्त पोखर की वंदोवस्ती को रद्द करने एवं विपक्षी से तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक के द्वारा लाया गया वर्त्तमान वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक का आवेदन काल बाधित है। आवेदकगण ने ईर्ष्या, द्वेष एवं लालच से वशीभूत होकर विपक्षी को परेशान करने के लिए यह वाद दायर किया है। उक्त तालाब आम जनता के लिए सिंचाई के लिए नहीं है बल्कि यह तालाब विपक्षी के व्यक्तिगत तालाब है। तालाब कहकर सिर्फ गत पर्चा में दर्ज हैं लेकिन वास्तव में यह तालाब बदल कर धानी II की स्वरूप में हो गया था और उक्त तालाब की जमीन का बंदोवस्ती वर्ष 1933 ई0 में भोलानाथ साह के माता कुमारी बरती के साथ की गयी है। उनका कथन है कि कुमारी बरती विशनी साह की पुत्री थी। विशनी साह राज बनेली स्टेट में नौकर थें। उनके कार्य से खुश होकर राज बनेली स्टेट ने विशनी साह की पुत्री के साथ उक्त तालाब की जमीन का बंदोवस्ती हुकुमनामा के द्वारा वर्ष 1933 में किया गया। बंदोवस्ती के वाद जमीनदार के द्वारा कुमारी बरती के नाम से लगान धार्य भी किया गया तथा वर्ष 1933 ई0 से कुमारी बरती के नाम से लगान रसीद कटना शुरू कर दिया गया है एवं पंजी II में भी दर्ज किया है। कुमारी बरती की शादी डोमन साह के साथ हुई क्योंकि डोमन साह राज बनेली स्टेट में तहसीलदार के रूप में कार्य करते थे। शादी के बाद डोमन साह उक्त तालाब का खुदाई करवाया एवं उसके पीण्ड पर शिव पार्वती का मंदिर का निर्माण करवाया एवं उक्त तालाब शिवगंगा तालाब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चूंकि बंदोवस्ती वर्ष 1933 ई0 में तत्कालिन जमीनदार के द्वारा हुकुमनामा के द्वारा किया गया था और उस समय संथाल परगना काश्तकारी (पुरक) अधिनियम 1949 लागू नहीं था। इसलिए संथाल परगना

काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। उनका आगे पुनः कथन है कि जमीनदारी उन्मूलन के बाद अंचल अधिकारी, गोड्डा के वाद सं0–57/1952–53 के द्वारा लगान धार्य करने का स्वीकृति दिया गया। उसके बाद पंजी II में दर्ज किया गया तथा अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया। बरती देवी के नाम से लगान धार्य होकर उनके नाम से रसीद कटने लगा तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भोलानाथ साह उस जमीन पर दखलकार हुए तथा मालगुजारी का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदक का आरोप निराधारा है। उन्होंने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–941/रा0, दिनांक–25.05.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा घाट मंजवारा, थाना नं0–474, गैरमजरूआ खाता नं0–99, दाग नं0–33, रकवा–04–08–03 धूर किस्म पोखर के रूप में गेंजर सर्वे खतियान में दर्ज है। पोखर के दक्षिणी पिण्ड पर शिव–पार्वती मंदिर एवं पक्की घाट बना हुआ है। पोखर भोलानाथ साह के दखल कब्जा में है। इनके द्वारा उक्त पोखर की खुदाई एवं जीर्णोद्धार भी किया गया है। प्रतिवेदन में आगे उल्लेख किया गया है कि पंजी II में उक्त भूमि बरती देवी जौजे डोमन साह घाट डुमरिया के नाम से होल्डिंग सं0–98/1 में दर्ज है जो अंचल अधिकारी, गोड्डा के केश नं0–57/1952–53 के अनुसार दर्ज किया गया है, अंकित है जिसका लगान रसीद 2016–17 तक रैयत के वंशजों भोलानाथ साह के द्वारा वसुल किया जाता है। वर्त्तमान में उक्त भूमि विपक्षी भोलानाथ साह के दखल कब्जा में है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वादगत जमीन विपक्षी के पूर्वज बरती देवी दोख्तर विशनी साह को राज बनेली स्टेट के द्वारा दिनांक–19.05.1933 को हुकुमनामा के द्वारा बंदोवस्त किया गया। पंजी II में भी होल्डिंग सं0–98/1 अंचल अधिकारी, गोड्डा केश नं0–57/1952–53 के आदेश द्वारा दर्ज किया है और उक्त भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा है। चूंकि बंदोवस्ती वर्ष 1933 में राज बनेली स्टेट के द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम1949 की धारा–35 के तहत बंदोवस्ती को रद्द करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण का आवेदन खारिज किया जाता है। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।